भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1867

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

परिवहन चेकपोस्ट पोर्टल

†1867. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वाणिज्यिक वाहन चालकों द्वारा अंतर-राज्यीय सीमा करों के भुगतान को प्रभावित करने वाले परिवहन चेकपोस्ट पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पोर्टल के कामकाज, अपटाइम और शिकायत निवारण तंत्र की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या रहा है;

(ग) क्या सरकार का पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण कर भुगतान में देरी होने की स्थिति में शास्ति की छूट सहित कोई राहत या अन्य उपचारात्मक उपाय प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए पोर्टल की विश्वसनीयता, पहुंच और सुचारू कामकाज को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों को सेवा प्रदाता के रूप में, परिवहन चेकपोस्ट पोर्टल के माध्यम से मोटर वाहन कर के संग्रह को सुगम बना रहा है ताकि वाणिज्यिक वाहनों के अंतरराज्यीय आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। पात्र वाणिज्यिक वाहनों के स्वामी पोर्टल का उपयोग करके नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के खाते में अपने देय मोटर वाहन कर जमा कर सकते हैं। पोर्टल प्रयोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

रसीद की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए, परिवहन विभाग पोर्टल पर लॉग इन करके भुगतान विवरण की पुष्टि कर सकते हैं। वे परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए तैयार की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों को देख/प्रिंट भी कर सकते हैं। चेकपोस्ट पोर्टल के माध्यम से 17 राज्यों के प्रयोक्ताओं ने ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का लाभ उठाया है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से पोर्टल से जुड़ी हैं, परिवहन चेकपोस्ट पोर्टल के कुशल, विश्वसनीय और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इसकी निगरानी और समीक्षा करती हैं। समीक्षा में सिस्टम की उपलब्धता और कार्य निष्पादन की निगरानी, लेनदेन की सफलता दर का विश्लेषण, प्रयोक्ता फीडबैक का आकलन और तकनीकी एवं परिचालन पहलुओं का मूल्यांकन शामिल है। इन समीक्षाओं के आधार पर, समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक और निवारक उपाय किए जाते हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे का संवर्धन, सॉफ्टवेयर में सुधार, सिस्टम के निष्पादन का अनुकूलन, सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और प्रयोक्ता सहायता एवं शिकायत निवारण तंत्र में सुधार शामिल हैं।

एनआईसी ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक वाहन संचालकों के लिए पोर्टल की विश्वसनीयता, सुगमता और सुचारू संचालन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सिस्टम की स्थिरता और कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का समय-समय पर अपग्रेडेशन।

- नियमित सुरक्षा ऑडिट और सुरक्षा खामियों के आकलन सहित सुदृढ़ सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन।

- प्रयोक्ताओं को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए ई-परिवहन हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।

- सिस्टम की क्षमता की निरंतर निगरानी और अनुकूलन ताकि अधिकतम लेनदेन मात्रा को प्रतिबंधित किया जा सके।
